न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 125/2012 दायरा दिनांक : 23.04.2012

उनवान

काल्या उर्फ कालूराम जी, जाति नाथ, निवासी ग्राम कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

गायत्री बाई पत्नी मोहनलाल जी, जाति माली, निवासी ग्राम कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री एन के गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री मदन गोपाल केवडा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 13.12.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 8/2011 निर्णय दिनांक 30.03.2012 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे पूर्णतःस्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के पक्ष में रेस्पोडेंट के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी

निषेधाज्ञा जारी करनी चाहिए थी कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित विवादग्रस्त आराजी अपीलांट के कब्जे काश्त में रेस्पोडेंट किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करें एवं अविभाजित संयुक्त खातेदारी की आराजी के किसी भी हिस्से को किसी भी प्रकार से उपयोग व उपभोग में नहीं लावे एवं सहकाश्तकारी आराजी को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं करें ।उक्त कृत्य न तो स्वयं करें और न अपने ऐजेन्ट से करावे । अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की यथास्थिति एवं एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी नहीं करने का आदेश प्रदान करे में त्रुटि की है । ग्राम कवाई, तहसील अटरू में खसरा नम्बर 499 रकबा 2.67 हेक्टर भूमि में 1/2 हिस्से का अपीलांट सहकृषक है तथा 1/2 हिस्से के घासीनाथ के वारिसान छीतरलाल पुत्र, बनासी, गुड्डी पुत्रियां एवं गुलाअब बाई पत्नी सहकृषक हैं । राजस्व अभिलेख जमाबंदी में भी उपरोक्तानुसार शामलाती खाते का इन्द्राज हो रहा है । इस प्रकार अपीलांट उपरोक्त आराजी के 1/2 हिस्से का सहकृषक है । उपरोक्त आराजी का सहकृषकों के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है तथा खाता एवं कब्जा शामलाती चला आ रहा है । रेस्पोडेंट द्वारा उक्तरोक्त आराजी के 1/2 हिस्से को छीतरलाल, बनासी, गुड्डी एवं गुलाब बाई से खरीदना बताया। रेस्पोडेंट उक्त आराजी का अजनबी क्रेता है । अतः अजनबी क्रेता को शामलाती खाते की भूमि को बिना विभाजन कराये भूमि में प्रवेश करने का एवं काश्त करने का अधिकार नहीं है । उपरोक्त आराजी का सहकृषक के मध्य विभाजन नहीं हुआ है । अतः अधीनस्थ न्यायालय ने यह करार फरमाने में त्रुटि की है कि अप्रार्थिया का पूर्व विभाजित आराजी पर कब्जा काश्त है तथा भूमि का उपयोग व उपभोग बाद खरीद उत्तरी दिशा में बतौर सहखातेदार किया जा रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रथम दृष्टया साबित नहीं होना मानकर हुक्म जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्पीकिंग आदेश की तारीफ में नहीं आने से निरस्त होने योग्य है । अतः अपील

अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.03.2012 अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अभिभाषक अपीलांट द्वारा आर आर डी अगस्त 2004 पेज 494 की नजीर पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई ।

सभी तथ्यों का अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सहखातेदार के अधिकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त है जिसमें हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं । अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.03.2012 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा